(1) अपील/एल.आर./7229/2007/टोंक
घासी बनाम हीरालाल
(2) अपील/एल.आर./7230/2007/टोंक
घासी बनाम रमेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित–
श्री हगामीलाल, अभिभाषक अपीलांट
श्री हेमराज गुप्ता, अभिभाषक रेस्पो0

दिनांक : 01–05–2025

निर्णय

उक्त दोनों अपीलें भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा अपील संख्या 31/2006 एवं 32/2006 में पारित निर्णय दिनांक 25–07–2007 के विरूद्ध धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश की गई है। उक्त दोनों अपीलों के तथ्य, विषय–वस्तु समान होने से इन दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 729/1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा वाके मौजा पराना अपीलांट के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 720, 721, 728 व 730 से मिली हुई है और उक्त भूमि छोटी पट्टी में आकर अपीलांट के नाम छोटी पट्टी में आवंटन होने योग्य होते हुए भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त स्थिति का अपने निर्णय में विवेचन एवं विश्लेषण नहीं कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किये हैं। अपीलांट आराजी खसरा नम्बर 729/1 पर सम्वत् 2045 से लगातार काबिज चले आ रहे हैं, अपीलांट के कब्जे काश्त की पुष्टि खसरा परिवर्तनशील के इन्द्राजों से होती है। आराजी खसरा नम्बर 729/1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा होकर उक्त भूमि छोटी पट्टी की परिधि में आती है और उक्त भूमि अपीलांट के खातेदारी खेतों से लगती हुई होने से राजस्थान कृषि परियोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 19 के तहत उक्त भूमि अपीलांट के नाम खातेदारी आधार पर आवंटन होने योग्य थी। आराजी खसरा नम्बर 729/1 में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सार्वजनिक परियोजनार्थ दरगाह व कब्रिस्तान एवं ग्राम के काश्तकारों के आवागमन हेतु सार्वजनिक रास्ता होकर शेष बची भूमि पर अपीलांट का कब्जा होते हुए भी उक्त तथ्यात्मक स्थिति का दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने मौका निरीक्षण एवं मौका रिपोर्ट तलब नहीं कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णय में यह अंकित कर कि रेस्पोडेन्ट को एक–एक बीघा भूमि यानी कुल 2 बीघा भूमि आवंटित है जबकि खसरा नम्बर 729/1 का रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा है। जिससे प्रकट है कि अपीलांट/प्रार्थीगण का शेष सिवायचक भूमि पर कब्जा काश्त हो सकता है, ना कि रेस्पोडेन्ट/प्रतिपक्षी को आवंटित भूमि पर। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय सम्भावनाओं के आधार पर आधारित होने से बिना किसी विनिश्चय के होकर विधि विरूद्ध है, जो निरस्तनीय हैं। अतः उक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–07–2007, जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–01–2006 एवं रेस्पोडेन्ट के हक में पारित आवंटन आदेश दिनांक 02–03–2002 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने उक्त दोनों प्रकरणों में भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–07–2007 एवं जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–01–2006 को विधि सम्मत बताते हुए उक्त दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज किए जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावलियों के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पो0 हीरालाल पुत्र प्रभू व रेस्पो0 रमेश तथा उसकी पत्नी कमला को आराजी खसरा नम्बर 729/1 में एक–एक बीघा भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु अपीलांट ने जिला	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कलक्टर टोंक के समक्ष आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र संख्या 17/2002 एवं 18/2002 प्रस्तुत किये, जो निर्णय दिनांक 10–01–2006 द्वारा खारिज कर दिये गये। जिला कलक्टर के उक्त आदेश दिनांक 10–01–2006 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के समक्ष अपील संख्या 31/2006 एवं 32/2006 प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 25–07–2007 द्वारा खारिज कर दी गई। अपीलांट/प्रार्थीगण, रेस्पो0 रमेश व श्रीमती कमला एवं हीरालाल पुत्र प्रभु को किये गये आवंटन को इस आधार पर निरस्त कराना चाहते हैं कि विवादित भूमि पर उनका पुराना कब्जा काश्त है और यह भूमि उसके खातेदारी के खेतों की भूमि से मिली हुई है तथा भूमि सार्वजनिक उपयोग में काम आ रही है। इस सम्बन्ध में नक्शा ट्रेस का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि के पास एक ओर पुख्ता रास्ता है एवं अलाटशुदा भूमि अपीलांट के खेतों से मिली हुई नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध थी तथा आवंटित भूमि के बारे में किसी न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन नहीं होना रिपोर्ट में अंकित किया गया है। जहां तक प्रार्थीगण के पुराने कब्जे के आधार पर एवं स्माल स्ट्रीफ आफ लेण्ड होने के कारण विवादित भूमि के नियमन किये जाने का प्रश्न है, तो ऐसे में प्रार्थीगण को कैम्प में उपस्थित होकर भू आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष चाराजोही करना चाहिए थी। अपीलांट/प्रार्थीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे कि विवादित आराजी को आवंटन किये जाने से पूर्व प्रार्थीगण के हक में भूमि नियमन की जाने की कोई कार्यवाही लम्बित होना अथवा नियमन/आवंटन किये जाने की कोई सिफारिश किया जाना प्रकट होता हो। यदि अपीलांट/प्रार्थीगण आवंटन की पात्रता रखते थे तो उन्हें आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था। आवंटनशुदा भूमि को छोड़कर एवं कब्रिस्तान, दरगाह, रास्ते व बाड़े को छोड़कर शेष बची सिवायचक भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। इससे यह प्रकट है कि अपीलांट का शेष सिवायचक भूमि पर कब्जा काश्त हो सकता है, न	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कि रेस्पो0 को आवंटित भूमि पर। इस प्रकार जिला कलक्टर टोंक ने प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति को विस्तृत रूप से विवेचित एवं विश्लेषित करते हुए अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) को खारिज किया है, जो उचित है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी रेस्पो0 को किये गये आवंटन को नियमानुसार एवं विधि अनुकूल मानते हुए समवर्ती निर्णय पारित किया है। हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों से पूर्णतया सहमत हैं एवं उनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई ओचित्य नहीं पाते हैं। परिणामतः उक्त दोनों अपीलें खारिज की जाती है तथा उक्त दोनों प्रकरणों में भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–07–2007 एवं जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10–01–2006 बहाल रखे जाते हैं। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	